महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान

(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार)
वेदविद्या मार्ग, चिंतामण गणेश, पोस्ट जवासिया, उज्जैन-456006 (म.प्र.)
Maharshi Sandipani Rashtriya Vedavidya Pratishthan
(Ministry of HRD, Govt. of India)
Vedavidya Marg, Chintaman Ganesh, P.O. Jawasiya, UJJAIN- 456006 (M.P.)

पत्र सं. 27-1/2019(शै.)/मसारावेविप्र/ दिनांक 09-09-2019

अधिसूचना 805

विषय :- प्रतिस्थापित गुरु-शिष्य परम्परा इकाई प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में।

यह अधिसूचित किया जाता है कि महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान की देश के विभिन्न राज्यों एवं वेद शाखाओं में पिछले वर्षों में 23 अनुदानित गुरुशिष्य परम्परा इकाइयों के स्थान रिक्त हैं इन इकाइयों को (गुजरात, उत्तराखण्ड, जम्मू, श्रीनगर काश्मीर, केरल, दिल्ली, छत्तीसगढ़, मणिपुर एवं सिक्किम आदि राज्यों में जहां प्रतिष्ठान की अधिक इकाई नहीं) वरीयता क्रम में आवश्यकता को ध्यान में रखकर प्रतिस्थापित करने की योजना है। चारों वेदों की किसी एक शाखा में पूर्ण रूपेण स्वर, स्मृति, उच्चारण में निपुण वेद स्वाध्यायी अध्यापक जो अपने घर पर या किसी भी उपयुक्त स्थान पर अधिकतम 10 छात्रों को वेदाध्ययन कराने की उत्तम व्यवस्था प्रदान कर गुरुशिष्य परम्परा इकाई संचालित करने में सक्षम हो, उनका सम्परीक्षण किया जायेगा।

गुरुशिष्य परम्परा योजना में वेद अनुसार रिक्त स्थान

क्र.	वेद शाखा	रिक्त स्थान
1	ऋग्वेद शाकल शाखा	3
2	कृष्ण यजुर्वेद तैत्तिरीय शाखा	3
3	शुक्ल यजुर्वेद माध्यन्दिनी शाखा	13
4	सामवेद कौथुम शाखा	1
5	सामवेद राणायणी शाखा	1
6	अथर्ववेद पैप्पलाद शाखा	1
7	अथर्ववेद शौनक शाखा	1
	कुल योग	23

नोट :- उपर्युक्त शाखाओं में योग्य अध्यापक न मिलने पर अन्य वेद शाखा के अध्यापक से प्रतिस्थापित स्थान की पूर्ति की जाएगी। प्रतिष्ठान के नियमानुसार अध्यापक को नियमित अध्यापन रखने हेतु शपथ-पत्र भी संलग्न करना अनिवार्य है।

अतः प्रतिस्थापित 23 इकाइयों को गुरुशिष्य परम्परा योजना के अन्तर्गत अनुदान सहित सम्बद्ध करने के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन-पत्र प्रतिष्ठान की वेबसाईट www.msrvvp.ac.in पर Online उपलब्ध है, आवेदन-पत्र पूर्णरूप से भरकर online प्रेषित करें। साथ ही आवेदन-पत्र की प्रति समस्त दस्तावेजों के साथ दिनांक 30 सितम्बर, 2019 तक प्रतिष्ठान कार्यालय में भेजा जाए।

इस समस्त प्रक्रिया को निरस्त, परिवर्तित एवं वेद की मौखिक परम्परा के सर्वत्र प्रचार-प्रसार एवं विकास को ध्यान में रखकर संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित है।

9/9/19

(प्रो. विरूपाक्ष वि. जड्डीपाल)
सचिव

प्रतिलिपि:- प्रतिष्ठान की बेबसाईट पर प्रकाशनार्थ।
कार्यालय आदेश मिसिल।

दूरभाष (0734)2502266, 2502254, 2502255 **फैक्स** (0734-2502253)
E-mail : msrvvpujn@gmail.com, website : www.msrvvp.ac.in

सस्वर पाठ में प्रतिष्ठान के पाठ्यक्रम के अनरूप (यथा सम्भव विकृतियों के साथ) सात वर्षों में इस दिनांक से ..... पूर्ण करूँगा। मुझे प्रतिष्ठान द्वारा इस दिनांक:.....से रू. 20,000/-बीस हजार

(शपथ पत्र)

मेरा (वेद अध्यापक का नाम).....निवासी ..... वेदपाठी (स्वाध्यायी) के रूप में ''वैदिक सस्वर उच्चारण की मौखिक परम्परा को अक्षुण्ण बनाए रखने की योजना'' के अन्तर्गत छात्रों को वेदों का मौखिक सस्वर उच्चारण कराने हेतु महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान के पत्र संख्या.....दिनांकः.....द्वारा चयन किया गया है।

मैं वचन देता हूँ कि मैं.....(छात्रों की संख्या) वित्तपोषित/वित्तविहीन छात्रों को जिनके नाम इस प्रकार है:-

1.	2.	3.
4.	5.	6.
7.	8.	9.
10.		

को पूर्ण शिक्षित और उन्हें सम्पूर्ण संहिता (वेद व शाखा का नाम) के सस्वर पाठ में प्रतिष्ठान के पाठ्यक्रम के अनरूप (यथा सम्भव विकृतियों के साथ) सात वर्षो में इस दिनांक से.....प्रवीण करूँगा। मुझे प्रतिष्ठान द्वारा इस दिनांकः.....से रू. 20,000/-बीस हजार का मानदेय प्राप्त होता है।

प्रतिष्ठान पाठ्यक्रम के अनुसार आधुनिक विषयों का भी स्वयं के उत्तरदायित्व में अध्यापन कराऊँगा। मैं यह भी वचन देता हूँ कि निम्न परिस्थितियों में, मैं प्रतिष्ठान द्वारा प्रदत्त मानदेय, सम्बन्धित सत्र का वापस करूँगा:-

(1) यदि मैं प्रतिष्ठान द्वारा या उसके निर्धारित प्रतिनिधि द्वारा दिए गए निर्देशों/शर्तों को मानने में असफल होऊँगा।

(2) यदि मैं प्रतिष्ठान द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम (संहिता) को छात्रों को वेद सस्वर अध्यापन शिक्षित करने में असफल होऊँगा या पूर्णावधि के बीच में अध्यापन छोड़ दूंगा।

(3) यदि छात्रों की प्रगति आख्या प्रतिष्ठान द्वारा विपरीत पायी गयी।

(4) जे जे एक्ट या पोस्को एक्ट इत्यादि नियम के अन्तर्गत जो भी बाल विरोधी गतिविधियाँ है उन सभी से दूर रखूंगा।

(5) मैं छात्रों का प्रतिष्ठान के अनुरूप सम्पूर्ण खाने-पीने का ध्यान रखूंगा एवं छात्रों को कर्मकाण्ड इत्यादि में नहीं लगाऊँगा।

(6) उपर्युक्त पांच परिस्थितियों में से किसी एक भी स्थिति में विपरीत स्थिति पायी जाती है तो मेरी इकाई निरस्त कर दूसरे अभ्यर्थी का सम्परीक्षण कर के स्वीकृति प्रदान कर दी जाए।

(7) इस शपथ पत्र को मैं सम्पूर्ण चेतना एवं आत्मविश्वास से देता हूँ।

नाम एवं हस्ताक्षर

वेद स्वाध्यायी अध्यापक का नाम एवं पूरा पता